

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक.— नर्सिंग / फार्मासिस्ट / डी-80 / 2019 /

दिनांक.

—:आदेश:—

श्री दिलदार मीणा, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराडा उदयपुर का दिनांक 08.03.2018 से 04.04.2018 तक कुल 28 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 07.08.2014 के अनुसर्ण में 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

sd —

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— नर्सिंग / फार्मासिस्ट / डी-80 / 2019 / 125

दिनांक: 13-03-2019

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1061 दिनांक 08.02.2019 को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिक का सेवापुस्तिका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।
2. प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराडा उदयपुर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश / निजी पत्रावली।

M

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर